



2026:AHC:129149

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या - 21624 वर्ष 2026

शुभम उपाध्याय

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : प्रशान्त यादव, सुभाष चन्द्र यादव

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुभाष चन्द्र यादव तथा राज्य-विपक्षी की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राजीव धर द्विवेदी को सुना गया।
2. यह जमानत प्रार्थना-पत्र अधीनस्थ न्यायालय में विचारण के लंबित रहने के दौरान वाद अपराध संख्या 215 वर्ष 2026, धारा 109(1), 112(2) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3/13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम, थाना नवाबाद, जनपद झाँसी में आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन के कथनानुसार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अभियुक्त जुआ खेल रहे हैं। सूचना के आधार पर जब

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पुलिस घटनास्थल पर पहुँची, तब अभियुक्तगण फॉर्च्यूनर वाहन से भागने का प्रयास करने लगे तथा उन्होंने पुलिस वाहन को टक्कर मार दी, जिससे दो पुलिसकर्मियों को चोटें आईं और घटनास्थल से आवेदक सहित दो अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तथापि, आवेदक के विरुद्ध लगाए गए समस्त आरोप पूर्णतः मिथ्या हैं।

4. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यद्यपि आवेदक के विरुद्ध धारा 109(1) भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के अंतर्गत भी आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है, किन्तु अभिलेख के पृष्ठ संख्या 181 एवं 183 पर संलग्न घायल पुलिसकर्मियों की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्टों से स्पष्ट है कि दोनों को केवल साधारण चोटें आई हैं। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक का पुलिसकर्मियों की मृत्यु कारित करने का कोई आशय था।
5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यद्यपि आवेदक के विरुद्ध पाँच अन्य वादों का आपराधिक इतिहास है, किन्तु वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र में उसके संपूर्ण आपराधिक इतिहास का विधिवत् स्पष्टीकरण दिया गया है तथा वे सभी पाँचों वाद सामान्य प्रकृति के हैं।
6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान वाद में आवेदक दिनांक 29.04.2026 से कारागार में निरुद्ध है।
7. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत तर्कों का खण्डन नहीं कर सके।
8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा वाद के अभिलेख का अवलोकन किया।
9. अभियोजन के अनुसार, जब पुलिस को यह सूचना प्राप्त होने पर कि आवेदक एवं अन्य व्यक्ति जुआ खेल रहे हैं, घटनास्थल पर पहुँची, तब आवेदक ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर अपनी फॉर्च्यूनर वाहन से पुलिस वाहन को कुचलकर पुलिसकर्मियों की हत्या करने का प्रयास किया, जिससे दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। किन्तु पुलिसकर्मियों की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्टों का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि उन्हें केवल साधारण चोटें आई हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. इसके अतिरिक्त, केवल सामान्य आरोपों के आधार पर आवेदक को अनेक अन्य व्यक्तियों के साथ वर्तमान वाद में अभियुक्त बनाया गया है।
11. इसके अतिरिक्त, यद्यपि वर्तमान वाद के अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध पाँच अन्य वादों का आपराधिक इतिहास है, तथापि उसके आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है और उससे यह परिलक्षित होता है कि वे सभी वाद सामान्य प्रकृति के अपराधों से संबंधित हैं।
12. इसके अतिरिक्त, वर्तमान वाद में आवेदक दिनांक 29.04.2026 से कारागार में निरुद्ध है।
13. इसके अतिरिक्त, यह विधि द्वारा सुव्यवस्थित सिद्धान्त है कि जब तक किसी अभियुक्त का अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसे निर्दोष माना जाता है तथा जमानत प्रार्थना-पत्र को न तो दण्डात्मक उद्देश्य से और न ही निवारक उद्देश्य से निरस्त किया जाना चाहिए।
14. अतः, उपर्युक्त विवेचित तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मेरे मत में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।
15. तदनुसार, वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।
16. आदेशित किया जाता है कि आवेदक **शुभम उपाध्याय** को उपर्युक्त वाद में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के दो प्रतिभू (जमानतदार) तथा एक व्यक्तिगत बन्धपत्र प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—
 - (i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से विधिवत् छूट प्रदान न कर दी जाए।
 - (ii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन नहीं देगा, न ही उसे धमकी देगा अथवा कोई वचन देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों का न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक अथवा समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

17. उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन को आवेदक की जमानत निरस्त कराने हेतु इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।
18. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल जमानत प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु पक्षकारों द्वारा अभिलेख पर लाए गए तथ्यों तक ही सीमित हैं तथा विचारण के दौरान वाद के गुण-दोष पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आदेश दिनांक : 25 जून, 2026

अंकिता

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।